न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

(16)

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2383-पीबीआर/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 01-12-2010 पारित द्वारा न्यायालय कलेक्टर, जिला ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 67/2009-10/अपील

श्रीमती शीला अग्रवाल पत्नी श्री आनन्द कुमार अग्रवाल
निवासी भितरवार जिला ग्वालियर म.प्र. .....आवेदिका

विरूद्ध

1. परमानंद पुत्र श्री मोतीराम (मृत)
   वारिसान
1) श्रीमती पुष्पा पुत्री स्व. श्री परमानंद
   निवासी वार्ड नं. 5 भितरवार जिला ग्वालियर
2) श्रीमती किरण पुत्री स्व. श्री परमानंद
   निवासी बुजुर्ग रोड़ डबरा जिला ग्वालियर
2. पातीराम पुत्र श्री धनीराम
   निवासीगण भितरवार, जिला ग्वालियर म.प्र. .....अनावेदकगण

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी एवं श्री के.के. द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदिका
श्री कुवंर सिंह, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/6/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय कलेक्टर, जिला ग्वालियर द्वारा पारित दिनांक 01-12-2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का गलत नक्शा सही किये जाने हेतु कलेक्टर जिला ग्वालियर के समक्ष संहिता की धारा 44, 86 एवं 90 के अंतर्गत अपील प्रस्तुत की गई । कलेक्टर द्वारा प्रकरण क्रमांक 67/2009-10/अपील दर्ज कर दिनांक 01-12-2010 को आदेश पारित कर प्रकरण अधीक्षक भू-अभिलेख को आदेशित किया गया कि मोके पर जाकर स्थल निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति का आंकलन अनावेकदगण के समक्ष कर वस्तु स्थिति के अनुरूप विधिवत कार्यवाही करना सुनिश्चित करें । कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदिका द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि सहायक बंदोबस्त अधिकारी भू प्रबंधन द्वारा प्रश्नाधीन भूमि की विधिवत स्थिति के अनुसार पुराने सर्वे क्रमांक 359/1 नया सर्वे क्रमांक 759 तैयार किया गया था, उस समय अनावेदक क्रमांक 1 व 2 द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई थी । इसलिए उन्हें बाद में आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं था । इस वैधानिक स्थिति पर विचार किये बिना कलेक्टर द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि कलेक्टर द्वारा सहायक बंदोबस्त अधिकारी को मौके पर जाकर स्थल निरीक्षण का वास्तविक स्थिति का आंकलन अनावेदकगण के समक्ष कर वस्तु स्थिति के अनुरूप विधिवत कार्यवाही करना सुनिश्चित करे न कि नक्शे में संशोधिन का आदेश दिया गया था । इस आधार पर कहा गया कि अधीक्षक भू-प्रबंधन द्वारा कलेक्टर के आदेश को विपरीत क्षेत्राधिकार के विपरीत नक्शे में संशोधन करने में त्रुटि की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि आवेदक को मान राजस्व-अभिलेख में भूमिस्वामी के रूप में दर्ज है जिसकी जानकारी अनावेदकगण, कलेक्टर एवं अधीक्षक भू-अभिलेख को भलीभांति थी । इसके बावजूद भी कलेक्टर एवं अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा आवेदक को ना ही पक्षकार बनाया गया और ना ही उसे सुनवाई का कोइ अवसर दिया गया है । आवेदक को सुनवाई को अवसर प्रदान नहीं किये जाने से वास्तविक स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है और अनावेदकगण द्वारा एक पक्षीय रूप से अपने पक्ष में कार्यवाही करायी गई है जो निरस्त किये जाने योग्य है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक प्रकरण में आवश्यक एवं हितबद्ध पक्षकार था, किन्तु उसे पक्षकार बनाये बिना जो कार्यवाही की गई है वह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि

अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा अधिकार विहीन आदेश पारित किया गया है । संहिता में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार अधीक्षक भू-अभिलेख को नक्शे में संशोधन का अधिकार नहीं है । अत: अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा पारित ओदश अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर द्वारा अधीक्षक भू-अभिलेख को मौके पर जाकर स्थल निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति का आंकलन अनावेदकगण के समक्ष कर वस्तु स्थिति के अनुरूप विधिवत कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है यह भी कहा गया कि अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा कलेक्टर के आदेश के पालन में कार्यवाही कर आदेश पारित किया गया है । जिसमें कोई अवैधानिकता नहीं है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश पूर्णत: विधिसंगत है । जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि बन्दोबस्त के दौरान तैयार नक्शे में संशोधन करने का अधिकार कलेक्टर को है, अत: कलेक्टर द्वारा प्रकरण निराकरण हेतु अधीक्षक भू-अभिलेख को भेजने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । इस प्रकरण में यह विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता है कि कलेक्टर का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण कलेक्टर को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे अपने स्तर से प्रकरण का अंतिम निराकरण करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर, जिला ग्वालियर द्वारा पारित दि.01-12-2010 निरस्त किया जाता है । प्रकरण कलेक्टर को अपने स्तर से अंतिम निराकरण करने हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर